संख्या-1/2016/299/एक-7-2016-रा0-7

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांकः 16 मई, 2016**

विषयः-सीजनल संग्रह अमीनों की वसूली में 10 प्रतिशपत संग्रह व्यय वसूली करने के उपरान्त समस्त वसूली जोडने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5403/2-संग्रह-13बी0/2007 दिनांक 09-12-2011 तथा पत्र सं0-शा0-42 संग्रह-13बी0/2007 दिनांक 14-03-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वसूली प्रमाण-पत्रों के सापेक्ष चैक/बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सीधे जमा की गयी धनराशि को संग्रह अमीन की कारगुजारी में सम्मिलित किये जाने संबंधी मा0 पूर्ण परिषद के निर्णय दिनांक 11-10-2011 पर शासन की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

2- वर्तमान में संग्रह प्रक्रिया के अन्तर्गत संग्रह अमीन द्वारा वसूल की गयी धनराशि को ही उसकी वसूली में आगणित किया जाता है बाकीदार द्वारा मा0 न्यायालय के आदेशान्तर्गत अथवा सीधे जमा की गयी बकाया धनराशि को संग्रह अमीन की वसूली में आगिणत नहीं किया जाता है। राजस्व संग्रह अमीन संघ की यह मॉग रही है कि बकायेदारों द्वारा सीधे जमा की गयी या अन्य माध्यम से जमा करायी गयी धनराशि को संग्रह अमीनों की कारगुजारी में सम्मिलित किया जायें।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व परिषद की संस्तुति/प्रस्ताव एवं राजस्व संग्रह अमीन संघ की मॉग के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वसूली प्रमाण-पत्रों के सापेक्ष चैक/बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सीधे जमा की गयी धनराशि जो समीक्षा रजिस्टर में अंकित होती है को भी संग्रह अमीन की कारगुजारी में सम्मिलित किया जाए।

4- कृपया शासन के निर्देशों से समस्त/मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2016/299(1)/एक-7-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

क्षेत्रपाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।